

प्ररूप- 2 ड.
(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

परिषद् निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

(भाग 1)

हम बिहार (राज्य) की विधान परिषद् के निर्वाचन के लिए दरभंगा स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशित करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम अमिय नाथ सिंह कश्यप (पिता/माता/पति का नाम) वासुकी नाथ सिंह उसका डाक पता आहियापुर, मंसूरचक
उसका नाम बेखराराय 142, बछुवाड़ा
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 14 में क्रम सं० 23 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम दरभंगा स्नातक परिषद् निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1	95	430 वासुकी नाथ सिंह	Basule Nath Singh	5.3.14
2	95	429 ज्योति नाथ सिंह	Jyoti Nath Singh	5.3.14
3	86	826 राकेश कुमार चौधरी	राकेश कुमार चौधरी	5.3.2014
4	86	830 रामचंद्र चौधरी	रामचंद्र चौधरी	5.3.2014
5	86	820 राम विलास मंडो	राम विलास मंडो	5.3.14
6	86	977 विपिन कुमार	विपिन कुमार	05-03-14
7	84	57 रंजीत कुमार गुप्ता		5.3.14
8	84	194 भौला ईश्वर	भौला ईश्वर	5.03.2014
9	84	257 लक्ष्मी साह	Dr L. sah.	5/3/14
10	83	286 सरोज कुमार चौधरी	सरोज कुमार चौधरी	5.03-2014

प्रस्थापक निर्वाचक क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हो, होने चाहिए।
मैं उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि—

(क) मैंने ३३ वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मैं इस निर्वाचन में स्वतंत्र दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी भाषा का नाम, में सही रूप से लिखा गया है और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं दरभंगा जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

अमिय नाथ सिंह क

Amiya

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख 05/03/14

जो लागू न हो उसे काट दें।

(भाग - 2)
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिये, या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है, या हां/नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष
या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याएं लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) जिला(जिले) लागू नहीं राज्य
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू नहीं
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियां) की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू नहीं
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें लागू नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे : हां/नहीं
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां लागू नहीं
- (x) उस न्यायालय (उस न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाईल
किए गये थे लागू नहीं
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, या वह/वे लंबित हैं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो लागू नहीं
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) लागू नहीं

स्थान
तारीख

दरभंगा
05.03.14

Amiza
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(भाग - 3)

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० - 19

यह नाम निर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में

तारीख को 12-25 बजे

अभ्यर्थी/प्रस्थापक

अमित नारायण सिंह

नाम द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख

08-03-2014

सहायक निदेशक, प्रशासकीय,
रिटनिंग आफिसर

(भाग - 4)

नाम निर्देशन-पत्र की प्रतिगृहित या रद्द करनेवाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख

रिटनिंग आफिसर

(छिद्रण

"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)



दरभंगा जनातक

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) **बिहार विधान परिषद** (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं **अमिय नाथ सिंह कश्यप** **पुत्र/पुत्री/पत्नी **वासुकी नाथ सिंह**
आयु **33** वर्ष, जो **डा० + पी० - अदियापुर** थाना- **मंसुरचक**
जिला- वैजपुरा (बिहार)

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैं **स्वतंत्र** (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम **बहुवास, वि. सभा (बिहार)** (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं **14** के क्रम सं **23** पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. **9934917498** है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	अमिय नाथ सिंह	EQKPS 7467D	लागू नहीं	लागू नहीं

है/हैं	लागू नहीं
--------	-----------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
[पूर्वोक्त]

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

लागू नहीं

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं

NOTARY
BEGUSARAI (BIHAR)



(ग)	अधिरूपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष उठराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	25,000	15,000			
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	S.B.I कुलरपुर A/c 3289921 0575 45,000/-	S.B.I कुलरपुर 316583 64175 85,000/- PNB रोमी 25,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों/डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों	हिन्दुस्तान काशी जेनेरेटिव प्रा. लि.	संयुक्त 35,000/-			



NOTARY
BEGUSARAI (BIE. RV)

में विनिधान के ब्यौरे और रकम	—	—	—	—	—
------------------------------	---	---	---	---	---

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	बीमा LIC 2 लाख लागू नहीं	लागू नहीं	LIC 1 लाख लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू नहीं	मारुति Alto 2009 BR06S 3603 95,000/- 10 मर 3 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	उभर 1 लाख	10 मर 3 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	3 लाख	39,5000	1 लाख	—

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	2 रुकड़	2 रुकड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति	विरासत	विरासत			

NOTARY
BEGUSARAI (BIHAR)



	है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1600	1500			
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	विरासत	विरासत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	10,000	8,000			
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	10 लाख	8 लाख			
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					



(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	30 लाख	28 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं				लागू नहीं

NOTARY
BEGUSARAI (BIHAR)



(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	ला.शु.नं. 1	ला.शु.नं. 2	ला.शु.नं. 3	ला.शु.नं. 4	ला.शु.नं. 5
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	ला.शु.नं. 1	ला.शु.नं. 2	ला.शु.नं. 3	ला.शु.नं. 4	ला.शु.नं. 5
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	ला.शु.नं. 1	ला.शु.नं. 2	ला.शु.नं. 3	ला.शु.नं. 4	ला.शु.नं. 5
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	ला.शु.नं. 1	ला.शु.नं. 2	ला.शु.नं. 3	ला.शु.नं. 4	ला.शु.नं. 5
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	ला.शु.नं. 1	ला.शु.नं. 2	ला.शु.नं. 3	ला.शु.नं. 4	ला.शु.नं. 5
	आय-कर शोध्य					
	धनकर शोध्य					
	सेवाकर शोध्य					
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य					
	विक्रयकर शोध्य					
	कोई अन्य शोध्य					
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	ला.शु.नं. 1	ला.शु.नं. 2	ला.शु.नं. 3	ला.शु.नं. 4	ला.शु.नं. 5
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	ला.शु.नं. 1	ला.शु.नं. 2	ला.शु.नं. 3	ला.शु.नं. 4	ला.शु.नं. 5

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं.....समाज सेवा

(ख) पति या पत्नी.....चिकित्सक

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

स्नातक (प्रतिष्ठा), दिल्ली विश्वविद्यालय

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० अमित नाथ सिंह कश्यप				
2	डाक का पता	गा.पौ.-आहियाकुल पाना-मंसुखपुरा, बेगूसराय				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	142, बड़वाड़ा (बिहार)				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)	लागू नहीं				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं				
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी अमित नाथ सिंह	EGKPS 7467D	लागू नहीं	लागू नहीं		
	(ख) पति या पत्नी डॉ. अंजना कुमारी	BWSPK 5567K	2012-13	4,23,337/-		
	(ग) आश्रित		लागू नहीं	लागू नहीं		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)					

NOTARY
BEGUSARAI (BIHAR)



भाग-ख

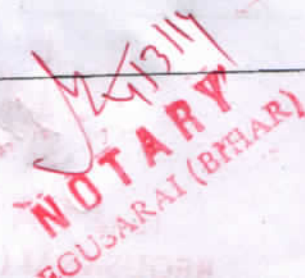
(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० अमित नाथ सिंह कश्यप			
2	डाक का पता	गा. + पी. - अहिंसाकु पाना - मंसूरचक, बेगूसराय			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	142, बड़वाड़ा (बिहार)			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)	लागू नहीं			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं			
7		 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी अमित नाथ सिंह	EQKPS 7467D	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(ख) पति या पत्नी डॉ. अंजना कुमारी	BWSPK 5567K	2012-13	4,23,337/-	
	(ग) आश्रित		लागू नहीं	लागू नहीं	
8	आस्तियाँ और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)				

NOTARY
BEGUSARAI (BIHAR)



ख	स्थावर आस्तियां						
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	—	—	
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं			—		
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं			—		
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	30 लाख	25 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)						
9	दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	स्नातक (प्रतिष्ठा)					



	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)
--	--

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 04.03.14 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर

NOTARY

BECHAMUN (BIHAR)

Authorised up to 27 () of Cr. P.C.

8 (i) () of The 1 clause Act. and

लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं..... 9934917498, 9709502221

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....

मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....



Handwritten signature and date 4/3/17, followed by a red stamp reading: BUI NAI, BUCSARAI (BIHAR).